महत्वपूर्ण एवं खास

टॉप पर टीसीएस

आरएनएस/ पिछले महीने जब टाटा संस ने 8200 करोड़ रुपये जुटाने के लिए टीसीएस के शेयर बेचने की योजना बनाई तो खबर छूटते ही टीसीएस के शेयर 5 प्रतिशत तक गिर गए। तब बाजार में कुछ सुनगुन तो थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके ठीक एक महीने बाद टीसीएस न सिर्फ देश की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी, बल्कि दुनिया के सौ अरब डॉलर वाले एक्सक्लूसिव कंपनी क्लब में जगह भी बना लेगी। पिछले ही साल टीसीएस को दुनिया के तीन सबसे बड़े आईटी सर्विस ब्रांड में शामिल किया गया था। अब 6827 अरब रुपए के कुल कारोबार के साथ टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज न सिर्फ देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, बल्कि इसने रिलायंस, एचडीएफसी और आईटीसी जैसे बड़े खिलाड़ियों को पछाड़कर अपने लिए वह मुकाम सुनिश्चित कर लिया है, जो फेसबुक, गूगल और ऐपल जैसी कंपनियों के लिए सुरक्षित माना जाता है। टाटा ग्रुप की कुल आमदनी में 85 फीसद हिस्सा रखने वाली टीसीएस पूरी दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर समाधान पेश करती है। 50 से ज्यादा अवॉर्ड जीत चुकी इस 50 वर्षीय कंपनी में अभी तकरीबन 3 लाख 90 हजार लोग काम करते हैं और यह पिछले दो साल से आईटी सर्विस देने वाली दुनिया की तीसरी सबसे अच्छी कंपनी मानी जा रही है। पहले नंबर पर अमेरिका की आईबीएम और दूसरे पर आयरलैंड की एक्सेंचर है। हालांकि दो और भारतीय कंपनियां इन्फोसिस और एचसीएल भी आईटी सर्विस देने वाली दुनिया की टॉप टेन कंपनियों में शामिल हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू टीसीएस के मुकाबले अभी आधी ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आईटी सर्विस के मामले में भारतीय कंपनियां दुनिया के शीर्ष पर हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सॉफ्टवेयर प्रॉडक्ट बनाने के मामले में उनकी गिनती दुनिया की टॉप सौ कंपनियों में भी नहीं होती। ऐसा एक भी भारतीय सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसका नाम विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड आदि की सूची में रखा जा सके। देसी बाजार में चलने वाले कुछेक एकाउंटिंग, एंटी वायरस और जन्मकुंडली जैसे सॉफ्टवेयर जरूर हैं, पर उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है। वक्त आ गया है कि टीसीएस और बाकी नामी भारतीय सर्विस कंपनियां प्रॉडक्ट और प्लैटफॉर्म के क्षेत्र में भी हाथ-पैर फैलाएं।

बचाने वाला बड़ा

आरएनएस/ राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में बैठे थे। उनके सामने बाण से घायल हंस आकर गिरा। सिद्धार्थ उसका उपचार करने लगे। कुछ ही क्षणों में सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष-बाण लिये वहां आ पहुंचा। वह बोला-इसे मुझे दो, इस पर मेरा अधिकार है। दोनों में विवाद होने लगा। विवाद का पता चलते ही सिद्धार्थ के पिता महाराजा शुद्धोधन वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने भतीजे से कहा-बेटा क्या तुम इस हंस को मार सकते हो उसने कहा-हां। उन्होंने राजकुमार से दूसरा प्रश्न किया-तो इसे मारने के बाद जिंदा भी कर सकते हो नहीं महाराज, मरे प्राणी को तो कोई भी जीवित नहीं कर सकता। राजकुमार ने जवाब दिया। 'तो, यह बताओ, मारने वाला बड़ा है, या जीवन देने वाला' इस प्रश्न को सुनकर राजकुमार को कहना पड़ा-जीवन देने वाला बड़ा होता है। उन्होंने कहा-तब तुम्हें तीर से घायल हुए हंस को बचाने वाले राजकुमार सिद्धार्थ को अपने से बड़ा मानकर, इस हंस पर उसी का अधिकार स्वीकार कर लेना चाहिए। उस घायल हंस को राजकुमार सिद्धार्थ राजभवन ले गए। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर 'महात्मा बुद्ध' के नाम से विख्यात हुए।

और भी बहुत कुछ करना है बाकी

बलात्कार पर फांसी

आरएनएस/ अब सरकार ने दिल्ली, कठुआ, सूरत, एटा और इन्दौर आदि शहरों में मासूम बच्चियों से बलात्कार की घटनाओं के बाद ऐसे अपराधों के लिये कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है। वर्ष 2012 में राजधानी में निर्भया कांड को लेकर उपजे आक्रोश के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता में बलात्कार से संबंधित प्रावधानों में कठोर सजा का प्रावधान किया गया था। सरकार ने बलात्कार और यौन हिंसा के अपराधों के लिये सजा का वर्गीकरण किया है। इसके अंतर्गत 12 साल तक की बच्चियों से सामूहिक बलात्कार के अपराध में मृत्यु होने पर उम्रकैद या फांसी की सजा, 12 साल तक की आयु की बच्चियों से बलात्कार और यौन हिंसा के अपराध में कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्रकैद या फांसी की सजा हो सकती है। इसी तरह 12 से 16 साल की किशोरी से सामूहिक बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद और बलात्कार के अपराध में दस साल से बीस साल की सजा और इसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने हालांकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये बेहद कठोर कदम उठाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सवाल यह है कि क्या कानून के प्रावधानों में संशोधन करना ही पर्याप्त है? क्या इस तरह के संशोधनों पर अमल करना व्यावहारिक है निर्भया सामूहिक कांड के बाद दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके कड़ी सजा का प्रावधान करने के साथ ही कहा गया था कि ऐसे मुकदमों की सुनवाई दो महीने के भीतर पूरी करने का प्रयास हो। इसी तरह, बलात्कार के मुकदमों की सुनवाई के लिये राज्यों में त्वरित अदालतें गठित करने का भी निर्णय लिया गया था। दिल्ली में करीब आधा दर्जन ऐसी अदालतें गठित हुईं। असम ने भी यही रास्ता अपनाने का निर्णय किया लेकिन क्या राज्यों में पर्याप्त संख्या में त्वरित अदालतें गठित की गयी हैं निर्भया कांड के बाद ऐसे मामलों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिये कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि ऐसे प्रत्येक मुकदमे के सारे गवाहों के बयान दर्ज करने का काम पूरा होने तक रोजाना सुनवाई होगी। परंतु यदि न्यायाधीश को महसूस होता कि अपरिहार्य कारणों से सुनवाई स्थगित करनी जरूरी है ।

कूड़े के ढेर में सशक्तिकरण ढूंढती महिलाएं

भारत में क्महिला सशक्तिकरणक्र और क्समानताक्र का ढिंढोरा पीटने वाली राजनीतिक पार्टियों की जमीनी हकीकत उनके घोषणा पत्रों से कतई इत्तेफाक नहीं रखती। देश में करीब 15 लाख से 40 लाख के बीच सड़कों पर कूड़े बीनने वाले लोग हैं, जिसमें से 40 फीसदी महिलाएं और 30 फीसदी कम उम्र की लड़कियां कूड़े के ढेर में सशक्तिकरण तलाश रही हैं। अकेले दिल्ली में ही पांच लाख लोग सड़कों पर कूड़ा बीनते हैं। नई दिल्ली में पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2015 में कचरा प्रबंधन पर एक सम्मेलन में कहा था, क्हस अनौपाचारिक क्षेत्र ने देश को बचाया लिया। यह लोग अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने इनके प्रयासों को मान्यता देने का फैसला किया है। हमें इन्हें राष्ट्रीय सम्मान देंगे।क्रनए तरीके से कचरा प्रबंधन करने के लिए तीन संगठनों और तीन कूड़ा बीनने वाले लोगों को डेढ़ लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ यह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। सड़कों पर कूड़ा बीनने वाली महिलाओं व बच्चियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. प्रीति सोनी ने एक अध्ययन किया, जिसमें कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। डॉ. प्रीति ने आईएएनएस के साथ अपना अध्ययन साझा करते हुए बताया, क्यह शोध कूड़ा बीनने वाली महिलाओं और लड़कियों की स्थिति पर बारीकी से अध्ययन करने का एक प्रयास था। साथ ही इस अध्ययन का मकसद इनकी कार्य परिस्थितियों और इनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के वर्तमान प्रभाव को समझना था।क्र उन्होंने कहा, क्अध्ययन में हमने इन लड़कियों को रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करने वाली परिस्थितियों को देखा और समझा। हमने अध्ययन में इनके हर रोज के संघर्ष और अपने व अपने परिवारों की आजीविका के लिए प्रतिकूल वातावरण में कार्य करने की मजबूरी को पाया।

अंतर्विरोधों से उपजी तरक्की की मरीचिका

आरएनएस/ इस समय अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के विपरीत संकेत मिल रहे हैं। तीन शुभ संकेत हैं। पहला शुभ संकेत है कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी देश की आय की विकास दर पुनः पटरी पर आ रही है। बीते समय में यह 6 प्रतिशत से नीचे चली गई थी जो अब पुनः 6 से 7 प्रतिशत के बीच में पुरानी चाल पर आ गई है। दूसरा शुभ संकेत है कि वर्ष 2016-17 में 60 अरब डालर सीधा विदेशी निवेश भारत में आया था, जो ऐतिहासिक अधिकतम है। जिससे संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा बन रहा है। तीसरा शुभ संकेत है कि डालर के सामने रुपया 65 रुपये प्रति डालर के इर्दगिर्द टिका हुआ है। इसके विपरीत तीन ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत बयां करते हैं। पहला संकेत है कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लोन में वर्ष 2016-17 में मात्र 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो पिछले 60 वर्षों की न्यूनतम वृद्धि है। यानी हर वर्ष बैंकों द्वारा दिये गये लोन में जो बढ़त होती है, वह इस समय गिर रही है। खस्ता हालत का दूसरा संकेत है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होने में भारी गिरावट आयी है। वर्ष 2011 तक अर्थव्यवस्था में आठ लाख रोजगार प्रति वर्ष बन रहे थे जो वर्तमान में दो लाख पर आ टिका है। खस्ता हालत का तीसरा संकेत है कि बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में नान परफार्मिंग एसेट यानी खटाई में पड़े ऋण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इन दोनों विरोधाभासी संकेतों को समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था में मूलतः मन्दी छायी हुई है। प्रमाण यह है कि बैंकों द्वारा दिये जा रहे लोन में गिरावट आयी है, रोजगार सृजन में गिरावट आयी है तथा बैंकों के नान परफार्मिंग एसेट बढ़ रहे हैं। देश के कुछ बड़े उद्यमियों में निराशा है। जैसे एयरटेल कम्पनी के मालिक सुनील भारती मित्तल ने एक सार्वजनिक समारोह में कहा कि विदेशी निवेशक 60 अरब डालर सीधा विदेशी निवेश भारत में हर वर्ष ला रहे हैं। यह दिखाता है कि वे भारत को निवेश का एक अच्छा स्थान मान रहे हैं। तब भारतीय उद्यमियों में उत्साह क्यों नहीं है, यह हमें पूछने की जरूरत है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं न कहीं जो विदेशी

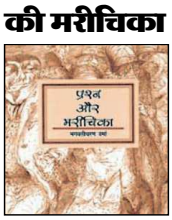

निवेश आ रहा है, उसमें कुछ समस्या है। गहराई से पड़ताल करने पर पता लगता है कि देश में आने वाला विदेशी निवेश संकटग्रस्त घरेलू कम्पनियों को खरीदने के लिए अधिक और नये निवेश करने के लिए कम आ रहा है। जैसे यदि मान लीजिये भारत की कोई कम्पनी संकट में है तो विदेशी निवेशक उसको कम दाम में खरीद लेते हैं और इसके लिए वे विदेशी निवेश ला रहे हैं। वे इसलिये विदेशी निवेश नहीं ला रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी है और यहां आने वाले समय में माल की बिक्री बढ़ेगी और कारोबार करने का अवसर बढ़ेगा। बल्कि जैसे अस्पताल में भर्ती परिजन को देखने के लिए लोग यात्रा करते हैं, उस तरह विदेशी निवेश आ रहा है, इसलिये नहीं कि परिवार के लोग पर्यटन के लिए आये हैं।

अभावों में संभावना तलाशने का गुर

आरएनएस/ वह बैंक मैनेजर मुझे समझा रहे थे कि अगर इतने रुपये में एटीएम से इतने दिन तक न निकाल पाऊं तो मुझे कित्ते रुपये के ब्याज का फायदा हो जायेगा। मैं बैंक मैनेजर से शिकायत करने गया था कि कुछ एटीएम से रुपये नहीं निकल रहे हैं। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि यह साहब बैंक मैनेजर हैं, पुलिस में नहीं। अगर वह पुलिस में होते और कोई उनके पास डकैती की शिकायत करने जाता तो उनसे संवाद इस तरह का होता- जी डाका पड़ लिया, घर लूट लिया। ठुकाई हुई बहुत। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ठुकाई हुई जिंदा बच गये यानी बहुत सहनशीलता है। बाडी मजबूत है। बधाई सुपर्ब। बाडी को स्वस्थ रखिये। कमाल है, हमारी ठुकाई हो गयी, आप कह रहे हैं कि बाडी मजबूत रखिये। डकैती में हम मर जाते तो। अच्छा ठीक है, फिर तो बहुत ही बढ़िया, सबसे मुक्ति। बहुत घटिया दुनिया है यह। चोर, डाकू सब हैं यहां। देखिये आप जैसे भले आदमी के यहां डकैती पड़ गयी। निकल लेते ऊपर तो आप जैसे भले आदमी स्वर्ग ही जाते। जी आप तो कमाल ही कर रहे हैं। हमारा सब लूट लिया। अब खायेंगे-पीयेंगे कैसे। अच्छा ठीक है। खाने-पीने की तो आप चिंता ही मत करो। तमाम धार्मिक स्थलों पर मुफ्त भंडारा चलता है। वहां जाकर खाइये। धार्मिक स्थलों पर जाकर खाने से कुछ और गुणों का विकास भी होता है व्यक्तित्व में। लंबी लाइन में लगकर खाना खायेंगे तो धैर्य विकसित होगा। आप रोज खाने की लाइन में लगेंगे तो वहां के अधिकारी आपको किसी सेवाकार्य में लगा देंगे। जैसे सफाई करना, भक्तों के जूते पालिश करना। इससे आपका स्किल इंडिया हो जायेगा और आपको नयी-नयी स्किल आ जायेंगी। सो कूल ना। जी मतलब आप कैश का जुगाड़ नहीं करेंगे। और तमाम बातें बनायेंगे। अच्छा, इस मुल्क में यही सोल्यूशन है अब। प्राब्लम में सोल्यूशन देखना सीख लेंगे तो आप बहुत आगे चले जायेंगे। मेरे इलाके में पीने का साफ पानी नहीं आता था। मेरे एक दोस्त ने उस पर पचास रिपोर्टें लिखीं, वह जल विशेषज्ञ पत्रकार बन गया। टीवी चैनलों पर बतौर वाटर एक्सपर्ट आता है। साफ पानी की समस्या ऐसी ही चली तो पांच-सात और वाटर एक्सपर्ट मेरे इलाके से निकलेंगे। एक लघु स्तरीय नेताजी ने साफ पानी की समस्या पर आठ-दस बड़े जुलूस निकाले, वह पहले कारपोरेटर बन गये। फिर विधायक बन गये। अब पानी की बात नहीं करते।

वास्तु टिप्स

कंगाली पीछा न छोड़े तो घर में जरूर रखनी चाहिए ये चीजें

जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और पैसे कमाता है ,लेकिन कई बार धन संबंधी परेशानियों को लेकर चिंतित रहता हैं तो इसका कारण आपके घर में मौजूद वास्तुदोष हो सकता है। इस दोष से मुक्ति और धन एवं सुख के लिए वास्तुशास्त्र में पांच चीजें ऐसी बताई गई हैं जिससे धन एवं सुख में बाधक तत्वों का प्रभाव दूर जाता है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने में बहुत ही कारगर माना गया है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि बांसुरी घर में रखने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। इससे भी वास्तु दोष दूर होता है और धन आगमन के स्रोत बनने लगते हैं। शिक्षा, व्यवसाय या नौकरी में बाधा आने पर शयन कक्ष के दरवाजे पर दो बांसुरियों को लगाना शुभ फलदायी होता है।गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता हैं। धन और सुख में बाधा को दूर करने के लिए नृत्य करती हुई गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ होता है।

फांसी से क्या होगा

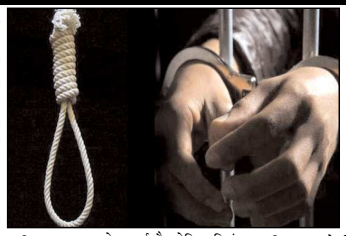

आरएनएस/ बलात्कार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सजा और सख्त करने का जो रास्ता चुना है, उससे समाज के एक तबके को भले ही संतोष हुआ हो पर इससे समस्या के समाधान की कोई उम्मीद नहीं बनती। उलटे इसने कई नई आशंकाओं को जन्म दिया है, जिन्हें भांपकर कई सामाजिक संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध भी किया है। सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 के जरिए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए नई त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी और सभी पुलिस थानों और अस्पतालों को बलात्कार के मामलों की जांच के लिए विशेष फ़ोरेंसिक किट उपलब्ध कराई जाएंगी। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार मामले में न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है और अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। कठुआ में एक बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के बाद देश भर में फैले आक्रोश को शांत करने के लिए सरकार यह अध्यादेश लाई है, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी बलात्कार की समस्या पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा। सत्तारूढ़ राजनेताओं और कई बुद्धिजीवियों को भी लगता है कि कानून सख्त बना देने से संकट खत्म हो जाएगा। जबकि सचाई इसके विपरीत है। निर्भया कांड के बाद सरकार ने बलात्कार संबंधी कानूनी प्रावधानों को बेहद कठोर कर दिया, लेकिन रेप और महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अन्य अपराध कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2015 में बलात्कार के कुल 10,854 मामले दर्ज हुए जबकि 2016 में यह आंकड़ा 19,765 हो गया। असल समस्या है थाने से ही मामला बिगाड़ दिया जाना और अदालत में मुकदमा खड़ा ही न हो पाना। शहरों में तो रेप की शिकायत दर्ज भी हो जाती है, कस्बों और गांवों में तो उलटे शिकायत दर्ज कराने वाले ही गंभीर मुश्किलों में पड़ जाते हैं। जैसे-तैसे मामला अदालत तक पहुंच जाए तो वहां किस्मत वाले ही दोषियों को सजा दिलाने में कामयाब हो पाते हैं। बलात्कार के मामलों में सजा दिए जाने की दर अभी करीब 24 फीसदी है जबकि बच्चियों के मामले में तो यह मात्र 20 फीसदी है। अपराधियों में खौफ न पैदा होने का यही मुख्य कारण है। अगर मौजूदा कानूनों के तहत ही हर अभियुक्त को सजा मिलती तो हालात इतने ज्यादा नहीं बिगड़ते। अब फांसी के प्रावधान के बाद यह आशंका बढ़ गई है कि मामले दर्ज ही न कराए जाएं, क्योंकि रेप के 95 फीसदी मामलों में परिवार के सदस्य ही दोषी होते हैं। पीड़िताओं की हत्या के मामले भी इससे बढ़ सकते हैं। बहरहाल, अभी तो सरकारें किसी तरह सजा की दर बढ़ाकर दिखाएं।

खाना-खजाना

बेहद आसान है शाही गुजिया बनाना

सामग्री आटा गूंथने के लिए - 4 कप मैदा 6 बड़े चम्मच घी तेल या घी भरावन के लिए - 6 कप मावा एक चम्मच इलायची पाउडर एक कप नारियल कद्दूकस किया हुआ 3 बड़े चम्मच किशमिश 5 बड़े चम्मच काजू कटे हुए 4 कप चीनी का बूरा (पिसी हुई चीनी) चाशनी के लिए - 4 कप चीनी 4 कप पानी

विधि गुजिया की बाहरी परत बनाने के लिए मैदा छान लें। इसमें घी मिलाएं और फिर जरूरत के हिसाब से पानी डालते हुए सख्त गूंद लें। इसे थोड़ी देर के लिए गीले कपड़े से ढक कर रख दें। अब भरावन तैयार करने के लिए गैस पर कड़ाही गर्म करें। इसमें मावा डालकर मध्यम आंच पर 3 मिनट तक भूनें। मावा चलाते रहें ताकि जले न। जब मावा सुनहरा हो जाए तो गैस बंद कर दें। अब बर्तन में मावा, चीनी का बूरा, किशमिश, कसा हुआ नारियल, काजू और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।